



कार्यालय पुलिस उपायुक्त वरुणा जोन कमिश्नरेट वाराणसी।

प्रेस नोट

दिनांक-13.04.2024

विषय:- “आपरेशन कन्विक्शन” के तहत प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप अश्लील सी0डी0 कैसेट आदि की बिक्री करने के आरोप में अभियुक्त को मा0 न्यायालय उठने तक की सजा एवं 1500/- रु0 अर्थदण्ड ।

थाना रोहनिया, कमिश्नरेट वाराणसी में पंजीकृत मु0अ0सं0-60/2013 धारा 292 भा0द0वि0, मु.नं.-1305/2013 से सम्बन्धित अभियुक्त ओम सर्वेश्वर चौहान पुत्र जयराम चौहान निवासी कचनार थाना राजातालाब कमिश्नरेट वाराणसी को प्रभारी निरीक्षक रोहनिया व मानिट्रिंग सेल की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप दिनांक-12.04.2024 को माननीय न्यायालय विशेष मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जनपद वाराणसी द्वारा दोषसिद्ध पाते हुए अभियुक्त ओम सर्वेश्वर चौहान उपरोक्त को मा0 न्यायालय उठने तक की सजा एवं 1500/- रु0 अर्थदण्ड से दंडित किया गया, अर्थदण्ड अदा न करने पर 05 दिन के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी ।

सोशल मीडिया सेल
पुलिस उपायुक्त
वरुणा जोन, कमिश्नरेट वाराणसी